

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 190/2012/उदयपुर.

मैसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड,
प्रतापनगर इण्डस्ट्रियल एरिया, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त-बी, कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुनील अग्रवाल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/6/2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 359/RST/Remand/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 3.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-बी, कोटा (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 78(5) के तहत पारित आदेश दिनांक 28.10.99 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 20.10.99 को अनन्तपुरा चैकपोस्ट पर XPS Cargo Services के वाहन संख्या आर.जे.07/जी-2089 को चैक किये जाने पर वाहन में 'इलेक्ट्रॉनिक आईटम्स' (BRP 244-471) हैदराबाद से उदयपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स प्रेसीजन इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग कं0, हैदराबाद का बिल संख्या 521 दिनांक 16.10.99 एवं मैसर्स XPS Cargo Services की बिल्टी संख्या SB65431 दिनांक 16.10.99 प्रस्तुत किये गये। घोषणा-पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में ना तो अपीलार्थी द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया एवं ना ही सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश हुआ। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिसूचित श्रेणी का माल बिना


लगातार.....2

घोषणा-पत्र एस.टी.18ए के परिवहनित किये जाने के कारण माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 62,221/- का आरोपण आदेश दिनांक 28.10.99 से किया गया।

अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6.9.2002 से अस्वीकार की गई, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पेश की गयी अपील संख्या 1616/2002/उदयपुर, आदेश दिनांक 1.7.2003 से स्वीकार की गई। कर बोर्ड के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई सिविल रिवीजन संख्या 13/2004 में आदेश दिनांक 28.9.2007 पारित करते हुए प्रकरण पुनः अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 एवं मैसर्स डी.पी.मैटल्स (2001) 124 एस.टी.सी. 611 प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। इस पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में पुनः सुनवाई के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.10.2011 से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।


उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि परिवहनित माल अपीलार्थी व्यवहारी का कच्चा माल होने तथा मीटर पार्ट्स होने से घोषणा-पत्र एस.टी.18ए की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष घोषणा-पत्र एस.टी.18ए संख्या 1200076 प्रस्तुत कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी दस्तावेज बाद में प्रस्तुत कर दिया जाये तो धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की समन्वयपीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टान्त (2011) 30 टैक्स अपडेट 168; 48 टैक्स वर्ल्ड 44 एवं अपील संख्या 462/2004/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2005 का हवाला देते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

 लगातार.....3

प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि परिवहनित माल स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक आईटम था, जिसके साथ वक्त परिवहन घोषणा-पत्र एस.टी.18ए होना आवश्यक था, जो नहीं पाया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.10.99 को चैकिंग की गई है, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 2.9.2002 को नया घोषणा-पत्र एस.टी.18ए तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त घोषणा-पत्र चैकिंग दिनांक 20.10.99 को अस्तित्व में नहीं था, ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में स्वीकार्य नहीं है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि परिवहनित माल अपीलार्थी का कच्चा माल था, इस बाबत भी कोई साक्ष्य/दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है कि विवादित माल ट्रांसफॉर्मर अथवा इसका पार्ट है, जिसके लिये माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों अनुसार वक्त परिवहन घोषणा-पत्र की आवश्यकता नहीं थी। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध बिल संख्या 521 में विवादित माल 'BRP 244-471' अंकित है, जो कि स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक आईटम की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपने प्रमाण-पत्र में उक्त आईटम को Resistors बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक आईटम बताया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त माल को इलेक्ट्रॉनिक से भिन्न माने जाने का कोई आधार नहीं है। व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी, अपीलीय अधिकारी अथवा कर बोर्ड के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त माल अपीलार्थी का कच्चा माल है अथवा ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है, जिसके लिये राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.3.2000 अनुसार घोषणा-पत्र एस.टी.18ए की आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ट्रांसफॉर्मर अथवा इसके पार्ट्स इलेक्ट्रिक गुड्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः इनके परिवहन के लिये घोषणा-पत्र एस.टी.18ए की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण अपीलार्थी को किसी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं।

 लगातार.....4

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई दस्तावेज वक्त जांच किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो, जो कि संब्यवहार से पूर्व अस्तित्व में था, तो वही घोषणा-पत्र नोटिस की पालना में प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्णय का सुसंगत अंश उद्धरित करना समीचीन होगा :-


".....If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce **the same.**"

उक्त न्यायिक दृष्टान्त का यह आशय कतई नहीं है कि चैकिंग के पश्चात नया दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा इस प्रकरण में किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क मानने योग्य नहीं है एवं ना ही उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार है।

प्रकरण में विवादित माल स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रिक गुड्स की श्रेणी में आता है, जिसके लिये वक्त परिवहन घोषणा-पत्र एस.टी.18ए की अनिवार्यता थी, जो ना तो वक्त जांच प्रस्तुत किया गया है एवं ना ही कारण बताओ नोटिस की पालना में। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना घोषणा-पत्र एस.टी.18ए माल परिवहनित किये जाने के कारण धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
25/6/12